न्यायालय उपजिलाधिकारी करछना, इलाहाबाद

वाद संख्या 7 ई० वर्ष 2010–11 अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र०भू०रा०अधि०

गोपाल रेड्डी ग्राम पंचायत अदील तहसील करछना जिला इलाहाबाद

बहादुरचन्द सिंह तुलसी देवी महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक सतीश कुमार सिंह

बनाम

सरकारी पक्षकार

निर्णय 24/05/2014

प्रस्तुत वाद बहादुरचन्द सिंह तुलसी देवी महाविद्यालय रेड्डी कला पोस्ट तेली इलाहाबाद द्वारा प्रबन्धक सतीश कुमार सिंह पुत्र बहादुरचन्द सिंह निवासी ग्राम रेड्डी कला पोस्ट टी०एस०एल० तेली परगना अदील तहसील करछना जिला इलाहाबाद ने सरकार उ०प्र० जरिये तहसीलदार इलाहाबाद की अधिसूचना प्रकाशित हुये उ०प्र०भू०रा०अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत गवाहान्यायाधीश इस शपथ के साथ दाखिल किया है कि वह ग्राम रेड्डी ग्रा० पंचायत परगना अदील तहसील करछना जिला इलाहाबाद स्थित आराजी संख्या 1/3 रकबा 0.1425हे० व 1/4 रकबा 0.3870हे० का भूमिधर काबिज व जनवित दखील है । यह कि प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदि का कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि उक्त भूमि का उपयोग व्यवसायिक रूप में हो रहा है । उक्त भूमि खेती करने योग्य नहीं रह गयी है जिसकी गवाहान कराकर व्यावसायिक प्रयोग अति आवश्यक है । अतः ये याचना किया है कि प्रार्थी के आराजी नम्बर 1/3 रकबा 0.1425हे० व 1/4 रकबा 0.3870हे० स्थित ग्राम रेड्डी ग्रा० पंचायत परगना अदील तहसील करछना जिला इलाहाबाद को लगान मुक्त करते हुये अकृषिक घोषित करने की कृपा करें । साथ में ग्राम रेड्डी ग्रा० पंचायत परगना अदील तहसील करछना जिला इलाहाबाद की खतौनी वर्ष 1419 लगायत 1424फ० तथा वैशाख की छाया प्रतियाँ दाखिल किया है, जो सलग्न पत्रावली है ।

प्रकरण की स्थानीय/अभिसंधीय जाँच नायब तहसीलदार तेली से करायी गयी । संबंधित तहसीलदार ने अपनी स्थानीय एवं अभिसंधीय जाँच आख्या दिनांक 16.01.2012 में उल्लिखित किया है कि ग्राम रेड्डी ग्रा० पंचायत परगना अदील तहसील करछना जिला इलाहाबाद की खतौनी सन् 1419 लगायत 1424 फसली के खाता संख्या 87 पर आराजी नम्बर 1/3 रकबा 0.2850हे० व आराजी नम्बर 1/4 रकबा 0.6680हे० बहादुरचन्द तुलसी देवी महाविद्यालय प्रबन्धक सतीश कुमार सिंह निवासी रेड्डी कला के नाम से संयुक्त रूप से बोली 1-क संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । जिसमें आवेदक का हिस्सा 0.8295हे० भूमि है । आवेदक के हिस्से की भूमि पर मौके पर महाविद्यालय का भवन बना हुआ है तथा कुछ भाग बेकार के रूप में खाली पड़ा हुआ है जो पूर्णरूप से अकृषिक है । उक्त भूमि पर किसी भी कृषि कार्य, मत्स्यपालन, बागवानी, कुक्कुटपालन आदि का कार्य नहीं किया जाता है । अतः आवेदक के हिस्से की भूमि रकबा 0.8295हे० को लगान मुक्त करते हुये अकृषिक घोषित किया जाने हेतु सम्बुद्ध अधिक रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है । प्रभारी तहसील निरीक्षक तेली ने अपनी आख्या दिनांक 21.01.2012 में उल्लिखित किया है कि संबंधित तहसील की दृष्टिगत्त सहमत की जाँच आख्या उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु 143 जे०आर०ए० के अन्तर्गत अकृषिक लगान मुक्त घोषित किये जाने के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित । उक्त बहादुरचन्द के उक्त प्रस्तावना की 143 के अन्तर्गत कार्यवाही की संस्तुति की जाती है । नायब तहसीलदार तेली ने अपनी आख्या दिनांक 10.05.2012 में उल्लिखित किया है कि ग्राम रेड्डी ग्रा० पंचायत परगना अदील तहसील करछना जिला इलाहाबाद की खतौनी वर्ष 1419 लगायत 1424 फसली के खाता संख्या 87 पर आराजी नम्बर 1/3 रकबा 0.2850हे० व आराजी नम्बर 1/4 रकबा 0.6680हे० पर जरिये वैशाख बहादुरचन्द सिंह तुलसी देवी महाविद्यालय प्रबन्धक सतीश कुमार सिंह रेड्डी कला पोस्ट टी०एस०एल० तेली इलाहाबाद का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है । उक्त आराजी नम्बर 1/3 के रकबा 0.2850हे० का 1/2 भाग यानी 0.1425हे० व आराजी नम्बर 1/4 रकबा 0.6680हे० का 1/2 भाग यानी 0.3290हे० से 19.09.11 को सामान्यतया

क्रमशः——2